न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

अपील प्रकरण संख्या 98 / 2022

गुरमीतकौर पुत्री स्व0 जबरसिंह पत्नी रूपिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड सं0 17, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. नाजमसिंह पुत्र जसकरणसिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तह0 श्री करणपुर
2. गुरसिमरन सिंह पुत्र श्री बलकरणसिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तह0 श्री करणपुर
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार, केसरीसिंहपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, एडवोकेट , अपीलार्थिया की ओर से
2. श्री रमेशसिंह, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

।। निर्णय ।। दिनांक: 06-09-2022

अपीलार्थिया की ओर से हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थिया के पिता जबर सिंह के नाम चक 22 एफ तहसील करणपुर के खाता संख्या 67 मु0न0 2,3,7से12,20 एवं 21 की कुल 62.167 हैक्टयर में से 1550/62167 हिस्सा खातेदारी दर्ज था। अपीलार्थीया के पिता का देहान्त दिनांक 26.09.2018 को हो गया था जिसके जायज वारिस दो पुत्र जसकरण सिंह, बलकरण सिंह व तीन पुत्रियां अपीलार्थिया, उसकी बहने हरप्रीत कौर व मन्दर कौर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार बहिस्सा बराबर की हकदार हुई। रेस्पोडेन्ट सं 01 न अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 17.08.2018 को कथित वसीयत जबर सिंह द्वारा अपने पोतों के हक म करने का कथन कर अपीलाधीन इंतकाल की गलत कार्यवाही कथित कूटरचित वसीयत के आधार पर की गई जबकि जबर सिंह को कथित वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट सं 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.04.2022 को प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यो को छुपाकर प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज यथा वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जबर सिंह के सभी वारिसान को विधिवत नोटिस जारी नहीं किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार तामिल की कार्यवाही नहीं की गई है। वसीयत कर्ता जबर सिंह को वसीयत करने का विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि आराजी उसकी स्वअर्जित सम्पति नहीं थी बल्कि वसीयत कर्ता को उसके पिता खेता सिंह से प्राप्त हुई थी जिसमें वसीयत कर्ता के समस्त वारिसान का जन्म से हक व हिस्सा होने से पैतृक सम्पति की वसीयत नहीं की जा सकती थी। कथित वसीयत कूटरचित एक सादे कागज पर तैयार की गई है। इस पर किसी लेखक के हस्ताक्षर नहीं है। केवल मात्र नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय को कथित वसीयत की वैधता की जांच करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं था।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

जब तक समक्ष सिविल न्यायालय से प्रोबेट हासिल नहीं किया जाता तब तक कानूनन इंतकाल नहीं हो सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल नियमों की पालना नहीं की गई है न ही भू–अभिलेख रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई है। कथित वसीयत अपंजीकृत होने से ही राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार मान्य योग्य नहीं थी। इस प्रकार अपील के माध्यम से अपीलार्थीया द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 08.08.2022 एवं इंतकाल दिनांक 18.08.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलार्थिया के पिता जबर सिंह के नाम चक 22 एफ तहसील करणपुर के खाता संख्या 67 मु0न0 2,3,7से12,20 एवं 21 की कुल 62.167 हैक्टयर में से 1550/62167 हिस्सा खातेदारी दर्ज था। अपीलार्थीया के पिता का देहान्त दिनांक 26.09.2018 को हो गया था जिसके जायज वारिस दो पुत्र जसकरण सिंह, बलकरण सिंह व तीन पुत्रियां अपीलार्थीया, उसकी बहने हरप्रीत कौर व मन्दर कौर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बहिस्सा बराबर की हकदार हुई। रेस्पोडेन्ट सं 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.08.2018 को कथित वसीयत जबर सिंह द्वारा अपने पोतों के हक में करने का कथन कर अपीलाधीन इंतकाल की गलत कार्यवाही कथित कूटरचित वसीयत के आधार पर की गई जबकि जबर सिंह को कथित वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जबर सिंह के सभी वारिसान को विधिवत नोटिस जारी नहीं किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार तामिल की कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलाधीन आराजी वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पति नहीं थी बल्कि वसीयतकर्ता को उसके पिता खेता सिंह से प्राप्त हुई थी जिसमें वसीयत कर्ता के समस्त वारिसान का जन्म से हक व हिस्सा होने से पैतृक सम्पति की वसीयत नहीं की जा सकती थी। कथित वसीयत नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय को कथित वसीयत की वैधता की जांच करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं था। जब तक समक्ष सिविल न्यायालय से प्रोबेट हासिल नहीं किया जाता तब तक कानूनन इंतकाल नहीं हो सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल नियमों की पालना नहीं की गई है न ही भू–अभिलेख रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई है। कथित वसीयत अपंजीकृत होने से ही राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार मान्य योग्य नहीं थी। वकील अपीलार्थीया द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में आरआरडी नम्बवर 2004 पेज 722, आरआरडी 1998 पेज संख्या 370, आरआरडी 2007 पेज 832 एवं आरआरडी 2007 पेज 835 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत पर विधिसम्मत् कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों एवं प्रकिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वसीयत के संबंध में समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई है। वसीयत के गवाहान का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने बहस में यह भी बताया कि अपीलार्थीया गुरमीत कौर रेस्पोडेन्टस सं. 01 व 02 की बुआ है जो पहले अन्य बुआ के साथ सहमत थी बाद में असहमत होकर मामले को विवादित कर दिया। कथित वसीयत का ज्ञान अपीलार्थीया को पूर्व में ही था। अपीलार्थीया द्वारा वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है। रेस्पोडेन्टस के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (मतकता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता ने बहस में यह भी कहा है कि अपीलाधीन भूमि पर वसीयतग्रहिता का कब्जा काश्त है तथा इंतकाल सं. 166 दिनांक 21.06.1996 द्वारा भूमि खरीदशुदा है तथा स्वअर्जित सम्पति है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से परिशीलन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वसीयतकर्ता जबर सिंह के पोते नाजम सिंह द्वारा दिनांक 07.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत दिनांक 17.08.2018 की फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जमाबन्दी की फोटोप्रति, स्वयं का व रेस्पोडेन्ट सं 02 का शपथ पत्र प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में नामान्तरण के आदेश हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। दिनांक 29.06.2022 को पटवारी हल्का रिपोर्ट प्राप्त हुई। वसीयत के जो गवाह है उनमें वसीयतकर्ता का पुत्र जसकरण सिंह व वसीयतकर्ता की पुत्रवधू हरदीप कौर पत्नी बलकरण सिंह है जिन्होनें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किए। दिनांक 11.07.2022 को रेस्पोडेन्ट सं 01 ने अपनी बुआ प्रीतम कौर पुत्री जबर सिंह का शपथ पत्र पर सहमतिनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य वारिसों के नाम से नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। दिनांक 27.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता की पुत्री अपीलार्थीया गुरमीत कौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य के खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 08.08.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिकाओं के अनुसार दिनांक 11.07.2022 को एक साथ दो आदेश पारित किए गए है। प्रथम वसीयतकर्ता के अन्य वारिसों के नाम से नोटिस जारी हो। द्वितीय वसीयत के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना हेतु लिखा जाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता के किन अन्य वारिसों के नाम से नोटिस जारी किए गए है, पारित आदेशिकाओं से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपीलाधीन आदेश में नोटिस जारी करने का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी नोटिस जारी होने की पुष्टि होती है।अधीनस्थ न्यायालय को नोटिस की तामिली प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही सार्वजनिक सूचना जारी करने का आदेश पारित करना चाहिए था। इसके अलावा वसीयतकर्ता की पुत्री अपीलार्थीया गुरमीत कौर का एतराज प्रार्थना पत्र पर जवाब प्राप्त करने के उपरान्त साक्ष्य के अभाव में खारिज करना विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता। कथित वसीयत का न्यायालय द्वारा अवलोकन करने पर यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि वसीयतकर्ता जबर सिंह द्वारा कथित वसीयत में अपीलाधीन सम्पति को स्वअर्जित होने कथन किया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेख जमाबंदी (खेवट/खतौनी) संवत् 2074–2077 के अनुसार 22 एफ खाता संख्या 37 के क्रम संख्या 01 पर जबरसिंह पुत्र खेतासिंह हिस्सा 2109/6325 अंकित है। जमाबंदी संवत् 2076–2079 चक 25 एफ खाता संख्या 53 में जबरसिंह पुत्र खेतासिंह हिस्सा 2211/8842 अंकित है। जमाबंदी संवत् 2076–2079 चक 25 एफ खाता संख्या 87 में जबरसिंह पुत्र खेतासिंह हिस्सा 946/2593 अंकित है। जमाबंदी संवत् 2076–2079 चक 26 एफ खाता संख्या नया 67 पुराना 63 में जबरसिंह पुत्र खेतासिंह हिस्सा 1550/62167

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2022 के अनुसार चक 22 एफ खाता संख्या 37 मु. नं. 20 किला नं0 1 ता. 25 रकबा 6.3250 हैक्टेयर रकबा 2.109 हैक्टेयर वसीयतकर्ता जबरसिंह पुत्र खेतासिंह जाति जटिया साकिन 25 एफ के नाम से दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी रकबा खातेदारी है। मौके पर वसीयतकर्ता के पोतो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 2 के कब्जा काश्त में है। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी बैयनामा से स्वयं अर्जित होने का तथ्य अंकित किया है। पटवारी हल्का 25 एफ गुलाबेवाला दिनांक 29.06.2022 खाता संख्या 53 /87 मु. नं. 1–16–25–63/13–14–17–25 की 11.4350 हैक्टेयर. कुल हिस्सा 3.157 हैक्टेयर जबरसिंह पुत्र खेतासिंह के हिस्से के अनुसार दर्ज है। मौके पर कब्जा वसीयतग्रहिता का है। मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी रकबा खातेदारी है। मुताबिक मिसल बंदोबस्त संवत् 2036 रकबा खेतासिंह पुत्र अमरसिंह खाता संख्या 14 व 38 में खेतासिंह के पुत्रों के नाम से दर्ज है। पटवारी हल्का कमीनपुरा चक 26 एफ खाता संख्या 67 मु. नं. 2,3,4,7,8 ता .13, 20,21, खाता योंग 62.167 हैक्टेयर में कुल हिस्सा 1.550 हैक्टेयर जबरसिंह पुत्र खेतासिंह के नाम दर्ज है। मौके पर कब्जा वसीयतगृहिताओं का है। जरिये इतंकाल संख्या 166 दिनांक 21.06.1996 बेचान द्वारा प्राप्त रकबा स्वयं अर्जित है। पटवारी द्वारा दिनांक 21.06.1996 को बेचान द्वारा प्राप्त रकबे का पंजीकृत दस्तावेज की प्रति संलग्न नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख से यह साबित नहीं होता है कि जबरसिंह द्वारा भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज से खरीद की गयी हो। राजस्व अभिलेख के अनुसार पूर्व में भूमि अमरसिंह से खेतासिंह को, खेतासिंह से वसीयतकर्ता जबरसिंह को भूमि प्राप्त हुई है। अपीलाधीन भूमि के स्वयं अर्जित होने का कथन वसीयतकर्ता द्वारा कथित वसीयत में कहीं भी नहीं किया गया है। यही नहीं रेस्पोडेण्टस की बुआ प्रीतमकौर का सहमति पत्र अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रीतमकौर दिनांक 11.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थी। इन्तकाल सं. 166 दिनांक 21.06.1996 की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को जबरसिंह के अन्य उतराधिकारियों को नोटिस जारी करने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबरसिंह की पुत्री मनजिन्द्रकौर एवं अपालार्थिया को जरिये क्रमांक 296–97 दिनांक 11.07.2022 को नोटिस जारी किये गये है। मनजिन्द्रकौर का नोटिस स्वयं द्वारा प्राप्त किया गया है। अपीलार्थिया द्वारा नोटिस लिया गया पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व वसीयतकर्ता जबर सिंह के समस्त विधिक उतराधिकारीगण को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। नोटिस और सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन एक ही दिनांक 11.07.2022 को जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को सिविल प्रकिया संहिता की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार तामिल की कार्यवाही करनी चाहिए थी। पत्रावली पर अपीलाधीन भूमि के स्वअर्जित सम्पति होने बावत कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तानुसार वसीयतकर्ता के समस्त वारिसान को अपीलाधीन आदेश से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण हो जाता है तथा प्रकरण को विधिवत् सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (संतकता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अपील अपीलार्थिया आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–08–2022 एवं इसके अनसरण पारित नामान्तरकरण सं. 803 दिनांक 17.08.2022 अपास्त किया जावे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वसीयतकर्ता के समस्त उतराधिकारीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा वसीयत में वर्णित भूमि के पैतृक सम्पति होने के सम्बन्ध में पुख्ता जांच कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04–10–22 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायलय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 06–09–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति० जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner